



658795



67/2007

(R)

Sum



Reetika

**कार्यालय उपनिबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम
चिरस्थायी पट्टा सहकारी**

● प्रथम पक्ष :-	आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
● द्वितीय पक्ष :-	श्रीमति रितिका जैन
● प्रीमियम :-	16,000/- रुपये
● निर्धारित दर :-	2,000/- रुपये प्रति वर्गमीटर
● मालियत :-	3,24,000/- रुपये
● स्टाम्प शुल्क :-	16,200/- रुपये ✓

हम कि आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि० मुजफ्फरनगर (Alok Co-Operative Housing Society Ltd) {पंजीकरण संख्या 1210} {द्वारा तेजराज गुप्ता पुत्र श्री बाबूराम गुप्ता निवासी 4, प्रेम विहार मुजफ्फरनगर 'सचिव' समिति} {जिसे इसके बाद विलेख में समिति या प्रथम पक्ष कहा जायेगा} प्रथम पक्ष व

1

Sum

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Reetika





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

658796

13 FEB 2007

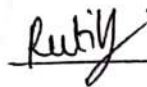
मुजफ्फरनगर

श्रीमति रितिका जैन पत्नी श्री संदीप जैन निवासी 2, रेनबो विहार, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर {'सदस्य' आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि० मुजफ्फरनगर जिनकी समिति में सदस्यता नम्बर 1034 है} द्वितीय पक्ष हैं।

जो कि प्रथम पक्ष ने अपने सदस्यों की आवासीय मॉग की आपूर्ति हेतु परगना व तहसील मुजफ्फरनगर ग्राम बीबीपुर के स्थित गाटा संख्या 1,2,4,8,9, 10,11,12,13,16,20,21 व 22 मि०, ग्राम कूकडा स्थित गाटा संख्या 481, 485 मि० 497 मि०, व 498 मि० तथा ग्राम शेरनगर स्थित गाटा संख्या 15 मि० 16,17,18 मि०, को उनके भूस्वामियों से क्रय किया तथा उक्त भूमि अब पूर्णतः समिति के स्वामित्व एवं कब्जे में है, इस भूमि को कालोनी का स्वरूप देकर, इसका नाम 'सुरेन्द्रनगर' रखा गया तथा इस हेतु भूखण्डों को तलपट मानचित्र {लेआउट प्लान} बनवा कर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा स्वीकृत कराया गया। प्रत्येक सदस्य के लिये भूखण्डों का चयन सदस्यों की उपस्थिति में लाटरी पद्धति से किया गया। तदनुसार भूखण्ड सं० 17 Phase-I जिसका विवरण दिया गया है, का आबंटन श्रीमति रितिका जैन पत्नी श्री संदीप जैन निवासी 2, रेनबो विहार, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर, जिसे इसके बाद द्वितीय पक्ष कहा जायेगा को किया गया है। अतः यह भूखण्ड प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित शर्तों पर आवास गृह बनवाने हेतु चिरस्थायी पट्टे पर दिया। अतः दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों से स्वयं को तथा अपने अपने उत्तराधिकारियों को पाबन्द करते हैं:-


Secretary

Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar


Ruby

2

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

658797

1. यह कि द्वितीय पक्ष और उसके उत्तराधिकारी को आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि० मुजफ्फरनगर के नियमों से पाबन्द होंगे।
2. यह कि उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को अंकन 16,000/- रुपये जिसके आधे अंकन 8,000/- रुपये होते हैं, अदा किये हैं और प्रथम पक्ष ने उक्त भूखण्ड से अपना कब्जा मौका पर से उठा कर द्वितीय पक्ष का कब्जा अपने तुल्य करवा दिया है।
3. यह कि द्वितीय पक्ष आधिपत्य प्राप्त होने पर समिति द्वारा प्रदत्त समय अवधि के भीतर, आबंटित भूखण्ड पर भवन निर्माण करेगा और यदि किसी कारणवश निर्माण न कर सके तो समिति उक्त को उन कारणों से सूचित कर समिति से लिखित रूप में, अवधि बढ़ाने की स्वीकृति प्राप्त करेगा ऐसा न करने की दशा में समिति को अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष को उक्त भूखण्ड का प्रतिदान देकर {जिसकी धनराशि द्वितीय पक्ष द्वारा दी गई धनराशि से अधिक नहीं होगी} चिरस्थायी पट्टा रद्द कर दे और अन्य जरूरतमन्द सदस्यों को चिरस्थायी पट्टे पर दें।
4. यह कि द्वितीय पक्ष आबंटित भूखण्ड पर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर के नियमानुसार निर्माण करेगा और भवन निर्माण करने में समिति द्वारा आबंटित भू भाग {हर हद्दूरबों} से अधिक अन्य भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा और समिति की जल सप्लाई लाईन पर मोटर पम्प {टुल्लू पम्प} इत्यादि नहीं लगायेगा व सार्वजनिक सड़क व सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचायेगा। तथा पशु इत्यादि पालने की दशा में उक्त पशु को समिति द्वारा आबंटित भू भाग के

Secretary

Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar



B 149532

- हददरदा में ही रखेगे किसी भी सार्वजनिक स्थान का प्रयोग पशु इत्यादि के लिये नहीं करेगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण में कोई नाली, रोशनदान, खिडकी, छज्जा आदि पार्क या अन्य किसी भूखण्ड की ओर नहीं निकालेगा या खोलेगा तथा किसी प्रकार की कोई गन्दगी भवन के बाहर, सड़क पर पार्क पर या किसी अन्य भूखण्ड पर नहीं करेगा। मकान में आवागमन हेतु आवश्यक चौड़ाई से अधिक नाला या नाली पर अतिक्रमण नहीं करेगा।
 6. यह कि द्वितीय पक्ष या उसके उत्तराधिकारी उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये मकान को प्रथम पक्ष की लिखित अनुमति के बिना किसी को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करेगा। लिखित अनुमति के उपरान्त हस्तान्तरण के फलस्वरूप द्वितीय पक्ष भूखण्ड में जो शुद्ध लाभ अर्जित करेगा उसका 10 प्रतिशत समिति को अदा करना होगा। यदि द्वितीय पक्ष लिखित अनुमति के बिना उक्त भूखण्ड या उस पर बने मकान को हस्तान्तरित करेगा तो यह चिरस्थायी पट्टा स्वतः रद्द माना जावेगा। लेकिन द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड या उस पर बने मकान को सरकारी संस्थान, सहकारी संस्थान, आवास विकास परिषद, सहकारी बैंक, अनुसूचित निजी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थान इत्यादि से कोई ऋण लेने के लिये या ऋण प्राप्त करने वाले गारन्टर के रूप में रहन रख सकता है और इसके लिये प्रथम पक्ष की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। वित्तीय संस्थानों को अपनी ऋण वसूली के लिये उक्त सम्पत्ति को बेचने की स्थिति में प्रथम पक्ष से किसी प्रकार की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।


 Secretary
 Alok Co-op. Housing Society Ltd.
 Muzaffarnagar


 Ruby

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

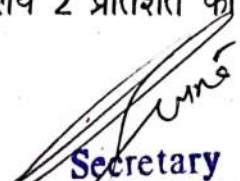
E 941452



7. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त प्लॉट पर निर्मित भवन में कोई ऐसा किरायेदार नहीं रखेगा जिससे सुरेन्द्रनगर के निवासियों को या प्रथम पक्ष को कोई असुविधा या और हानि हो। यदि वह ऐसा करेगा तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह ऐसे किरायेदार से उक्त भवन खाली कराके किसी अन्य किरायेदार को किराये पर दे दे।
8. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड पर केवल आवास निर्माण करेगा और इसका उपयोग केवल आवास प्रयोजन हेतु ही करेगा। भूखण्ड में बनाये गये भवन में कोई औद्योगिक इकाई या व्यवसायिक संस्थान स्थापित नहीं करेगा।
9. यह कि द्वितीय पक्ष सुरेन्द्रनगर में शान्ति, अनुशासन व व्यवस्था बनाये रखने में प्रबन्ध कमिटी से पूर्ण सहयोग करेगा और विहार के उत्थान एवं विकास के लिये प्रबन्ध कमिटी द्वारा लिये गये निर्णयों का पालन करेगा।

अतः यह चिरस्थायी पट्टा लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

चिरस्थायी पट्टा प्रथम पक्ष की ओर से समिति के सचिव ने समिति के संचालन मण्डल की बैठक दिनांक 20.1.2007 ई० के प्रस्ताव सं० 3/2007 के अनुपालन में निष्पादित किया। सचिव की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगी। द्वितीय पक्ष सहकारी समिति का सदस्य है तथा सहकारी समिति के सदस्य पर 50 प्रतिशत की छूट नोटिफिकेशन सं० एस०आर०-738/XX-33-75 / 25-4-1981 द्वारा है तथा महिलाओं के लिये अनुच्छेद 35 में अधिसूचना सं० क सं० वि० 5-3706/11-98-500(20)/98 दिनांक 31 अगस्त 1998 के लिये 2 प्रतिशत की छूट दी गयी।


Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 941453

विवरण सम्पत्ति स्थित मौहल्ला सुरेन्द्रनगर Phase -I मुजफ्फरनगर परगना तहसील व जिला-मुजफ्फरनगर:-

दरोबस्त भूखण्ड 17 Phase -I जिसकी पैमायश इस प्रकार है:- उत्तर:-18 मीटर, दक्षिण:-18 मीटर, पूर्व:-9 मीटर, पश्चिम:-9 मीटर, क्षेत्रफल:- 162 वर्गमीटर तथा जिसकी सीमाएं इस प्रकार है:-उत्तर:- प्लाट नम्बर 18, दक्षिण:-पार्क, पूर्व:- प्लाट नं0 26, पश्चिम:- रास्ता 9 मीटर चौड़ा

नोट:- उक्त प्लाट ग्राम बीबीपुर के खसरा नम्बर 22 मि0 में स्थित है।

Secretary

साक्षीगण:-

Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar 2-

1-

Rajesh Kumar Jain
S/o L. Adesh Kumar Jain
2, Rainbow Vihar
Mecmut Road
Muzaffarnagar.

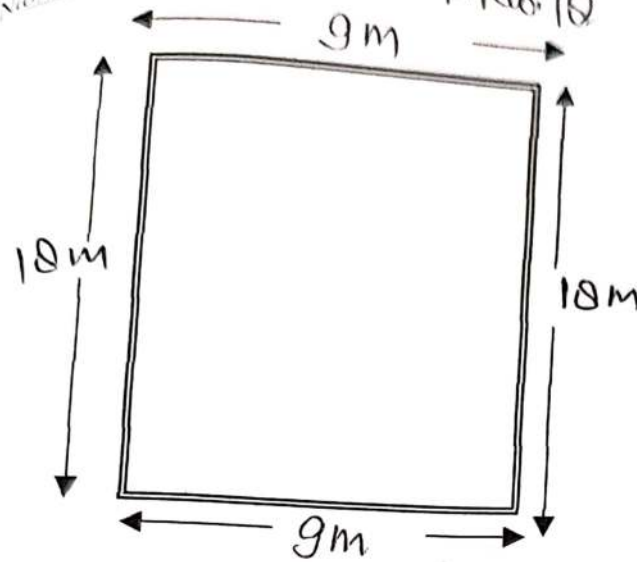
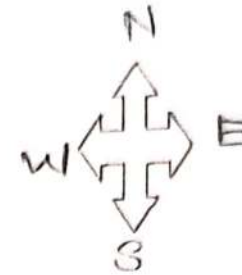
Sandeep Jain
S/o L. Adesh Kumar Jain
2, Rainbow Vihar
Mecmut Road
Muzaffarnagar

लेखतिथि:- 14.2.2007 ई0

डाफ्टकर्ता:- संदीप अग्रवाल एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर।

Site Plan

Situated at Mohalla SURENDRANAGAR Muzaffaranagar
P. No. 18



P. No. 26

road
wide

Park.



आज दिनांक 17/03/2007 को
बही सं. 1 जिल्द सं. 3428
पृष्ठ सं. 21 से 36 पर क्रमांक 2888
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

अशोक कटारिया

17/3/2007

